

२०३

राजस्थान सरकार प्रतिलिपि निम्न

गर्ववाही हेतु प्रेषित विभागीय विकास एवं आवासन विभागिष्ठ सचिव भैरवनाथ शर्मा १०.१०.१७

क्र. प. १८(२५) नविविभासामान्य / २०१४ पार्ट

जयपुर दिनांक १२.१०.१७

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक ०४.१०.२०१७ (प्रति संलग्न) को निरस्त किया जाता है।

संलग्न— उपराक्तानुसार

राज्यपाल की आज्ञा से,

Dr. १२/१९/१७  
(राजन्द्र सिंह शेखावत)  
संयुक्त शासन सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि निन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, रवायत्त शासन विभाग, जयपुर।
- आयुक्त, राजस्थान आवासन संडल, जयपुर।
- निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगरीय निकायों को निर्देशित किये जाने हेतु।
- सचिव, जयपुर / जोधपुर / अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर / जोधपुर / अजमेर।
- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
- सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
- वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
- रक्षित पत्रावली।

Dr. १२/१९/१७  
संयुक्त शासन सचिव—प्रथम